राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 17 जुलाई, 2019 और 18 जुलाई, 2019 को राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 194वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री सोसो साइजा	सदस्य
4. सुश्री श्यामला एस. कुंदर	सदस्य
5. सुश्री राजुलबेन एल. देसाई	सदस्य
6. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री ए. अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. श्रीमती ज्योति सिंघल	उप सचिव
3. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4. सुश्री लोमा वशिष्ठ	वेतन और लेखा अधिकारी
5. सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
6. श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
7. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक
8. सुश्री एम. लीलाबती	वरिष्ठ समन्वयक

आयोग की 194वीं बैठक तारीख 17.07.2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में और तारीख 18.07.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मेलन कक्ष में दो सत्रों में आयोजित की गई। श्रीमती कमलेश गौतम, सदस्य तारीख 18.07.2019 को उपस्थित नहीं थी।

आरंभ में सदस्य सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

कार्यसूची मद सं. 194/I/1:

तारीख 17 जून, 2019 को आयोजित आयोग की 193वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 17 जून, 2019 को आयोजित आयोग की 193वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 194/I/2:

आयोग की 186वीं, 187वीं, 188वीं, 191वीं, और 192वीं बैठकों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

आयोग द्वारा 186वीं, 187वीं, 188वीं, 191वीं, और 192वीं बैठकों के कार्यवृत्तों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि की गई। यह विचार व्यक्त किया गया कि आयोग की पूर्व बैठकों में 189वीं और 190वीं बैठकों के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्टों का पहले ही आयोग द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। यह विनिश्चय किया गया कि इन बैठकों के शेष मदों की बाबत की गई कार्रवाई रिपोर्ट को आयोग की अगली बैठक में 193वीं बैठक के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 194/I/3:

महिला पुलिस अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अधीन व्यय का भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन

आयोग ने विचार विमर्श किया और भूतलक्षी प्रभाव से निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

i. कनार्टक, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए प्रत्येक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 3,00,000/- रूपये (केवल तीन लाख रूपये) की प्रशासनिक मंजूरी।

ii. कनार्टक, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में महिला पुलिस अधिकारियों के लिए प्रत्येक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 1,50,000/- रूपये (केवल एक लाख पचास हजार रूपये) की रकम का निर्मोचन।

कार्यसूची मद सं. 194/I/4:

राष्ट्रीय महिला आयोग भवन में लगे हुए एयर कंडीशनर का वार्षिक अनुरक्षण संविदा (एएमसी) के लिए तारीख 16 अप्रैल, 2019 से लेकर तारीख 15.04.2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड के साथ अनुबंध।

आयोग ने विचार विमर्श किया और मैसर्स ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड को एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् तारीख 16.04.2019 से 15.04.2020 तक 5,60,000/- रूपये प्रतिवर्ष जमा 12%

जीएसटी अतिरिक्त रकम के साथ एयर कंडीशनर के लिए वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रदान करने के लिए आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 194/I/5:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन करने और विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययनों को करने के लिए महत्व वाले क्षेत्रों की पहचान।

आयोग ने तारीख 18.07.2019 को आयोजित बैठक में इस कार्यसूची मद पर विचार किया था और कार्यसूची के पैरा 10 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सेमिनार/कार्यशाला/सम्मेलन करने और विशेष अध्ययन/अनुसंधान अध्ययनों को करने के लिए महत्व वाले क्षेत्रों का अनुमोदन किया।

आयोग ने विचार विमर्श किया और मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 4.1 में निम्नलिखित उपातंरण के साथ कार्यसूची के पैरा 11 में यथाउल्लिखित सेमिनार और अनुसंधान अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए विद्यमान मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन किया।

"गैर सरकारी संगठन को यह प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने एफसीआरए विनियमों के किसी उपबंध का अतिक्रमण नहीं किया है और उन्हें भारत सरकार के किसी विभाग द्वारा कालीसूची में नहीं डाला गया है"।

कार्यसूची मद सं. 194/I/6:

वीमेन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट: ए स्टडी इन टू डिस्ट्रिक्स ऑफ़ पंजाब, इंडिया बाइ सी.एस.आई.आर. (महिलाओं के आने जाने और सावर्जनिक परिवहन: सीएसआईआर द्वारा पंजाब, भारत के दो जिलों में अध्ययन)।

आयोग ने विचार विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

i) ग्रामीण और औद्योगिक विकास में अनुसंधान का भारतीय केंद्र, (सीआरआरआईडी), चंडीगढ़ द्वारा 'वीमेन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट: ए स्टडी इन टू डिस्ट्रिक्स ऑफ़ पंजाब, इंडिया' (महिलाओं के आने जाने और सावर्जनिक परिवहन: पंजाब के दो जिलों में अध्ययन) नामक शीर्षक रिपोर्ट को आयोग द्वारा स्वीकार किया गया।

ii) उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार 1,00,000 रूपये की शेष रकम (तीसरी किश्त) का समायोजन।

iii) आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति रखना या प्रदान करना।

iv) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और पंजाब सरकार को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित करना।

कार्यसूची मद सं. 194/I/7:

डिसाइफरिंग इकोनोमिक्स वायलेंस: ए स्टडी ऑफ इट्स डायनामिक्स एंड इम्पैक्ट ऑन वीमेन (आर्थिक हिंसा को समाप्त करने: इसके गत्यात्मक और महिलाओं पर इसके असर से संबंधित अध्ययन)।

आयोग ने विचार विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

i) मानवीय विकास सोसाइटी, नई दिल्ली द्वारा डिसाइफरिंग इकोनोमिक्स वायलेंस: ए स्टडी ऑफ इट्स डायनामिक्स एंड इम्पैक्ट ऑन वीमेन (आर्थिक हिंसा को समाप्त करने: इसके गत्यात्मक और महिलाओं पर इसके असर से संबंधित अध्ययन) शीर्षक की रिपोर्ट को आयोग द्वारा स्वीकार किया गया।
ii) संगठन से अंतिम रिपोर्ट की 10 प्रतियां मांगी जाएं।
iii) तीसरी और अंतिम किश्त अर्थात् कुल रकम का 20% (91,800 रूपये) को निर्मोचित किया जाएं।
iv) आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाएं।
v) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की जाएं।

कार्यसूची मद सं. 194/I/8:

स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा स्टेटस ऑफ वीमेन इलेक्ट्रानिक मीडिया जर्नलिस्ट इन कनार्टक (कर्नाटक में महिला इलेक्ट्रानिक मीडिया पत्रकारों की स्थिति)।

आयोग ने विचार विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

i) स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन, मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा 'स्टेटस ऑफ वीमेन इलेक्ट्रानिक मीडिया जर्नलिस्ट इन कनार्टक' (कर्नाटक में महिला इलेक्ट्रानिक मीडिया पत्रकारों की स्थिति) नामक शीर्षक रिपोर्ट को आयोग द्वारा स्वीकार किया गया।
ii) प्रतियों की अपेक्षित संख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार 48,258/- रूपये का समायोजन।

iii) आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाएं।

iv) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की जाएं।

कार्यसूची मद सं. 194/I/9:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर द्वारा वायलेंस अगेंस्ट वीमेन अमंग अर्बन स्लम रेसिडेंट्स ऑफ़ इंडिया (भारत के शहरी गंदी बस्ती क्षेत्र के निवासियों के बीच महिलाओं के विरूद्ध हिंसा) पर अनुसंधान अध्ययन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन प्रदान किया:

i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़कपुर, पश्चिम बंगाल द्वारा वायलेंस अगेंस्ट वीमेन अमंग अर्बन स्लम रेसिडेंट्स ऑफ़ इंडिया (भारत के शहरी गंदी बस्ती क्षेत्र के निवासियों के बीच महिलाओं के विरूद्ध हिंसा) नामक शीर्षक रिपोर्ट को आयोग द्वारा स्वीकार किया गया।

ii) प्रतियों की अपेक्षित संख्या प्राप्त हो जाने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाणपत्र के अनुसार 64,050/- रूपये (तीसरी किश्त) शेष का समायोजन ।

iii) आयोग के पुस्तकालय में रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की जाएं।

iv) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति प्रेषित की जाएं।

कार्यसूची मद सं. 194/I/10:

मनोरोग गृहों/कारागारों की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुसमर्थन

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची में अंतर्विष्ट टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ 7 संस्थाओं की निरीक्षण रिपोर्टों के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 194/I/11:

कारागारों के विहित प्रोफार्मा में जानकारी की संवीक्षा करने के पश्चात् आयोग को संप्रेषित टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में उल्लिखित संस्थाओं की बाबत माननीय अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित की गई कार्रवाई रिपोर्टों का अनुसमर्थन किया।

कार्यसूची मद सं. 194/I/12:

दिल्ली में महिलाओं के विरूद्ध अपराध प्रकोष्ठों (सीएडब्ल्यू) की निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुसमर्थन।

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में अंतर्विष्ट टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ दिल्ली में 15 सीएडब्ल्यू की निरीक्षण रिपोर्टों का अनुसमर्थन किया।

कार्यसूची मद सं. 194/I/13:

स्वाधार गृह की निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों का अनुसमर्थन

आयोग ने विचार विमर्श किया और कार्यसूची मद में अंतर्विष्ट टीका-टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ स्वाधार गृह की निरीक्षण रिपोर्ट के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 194/II/1

तारीख 30.06.2019 तक उपगत व्यय

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार तारीख 30.06.2019 तक व्यय विवरणी को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 194/II/2

शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की मासिक रिपोर्ट-

आयोग ने कार्यसूची मद में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ की बाबत मासिक रिपोर्ट (जून, 2019) को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 194/II/3

i) फा.सं. 15/37/2019-20/रा.म.आ.(एसएम), ii) फा.सं.15/61/2019-20/रा.म.आ.(एसएम) वाले मामलों में तथ्य पता लगाने वाले दल की रिपोर्ट

आयोग ने विचार विमर्श किया और जानकारी के लिए रखी गई तथ्य पता लगाने वाली समिति की रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

पटल कार्यसूची मद सं. 194/I/1

वर्ष 2005-2010 की अवधि के पुरानी शिकायतों से संबंधित मामलों का निपटान।

आयोग ने ब्यौरेंवार इस कार्यसूची मद पर विचार विमर्श किया और अनुमोदन प्रदान किया।

i. वर्ष 2005-2010 से संबंधित 16,905 शिकायतों को जो डाटा बेस में निपटान/कार्रवाई के लिए लंबित है उन्हें बंद किया हुआ माना जाएगा।

ii. जैसा कि कार्यसूची में प्रस्ताव किया गया है आयोग ने 2005-2010 की अवधि के लिए ऑनलाईन शिकायतों की बाबत - "आपकी शिकायत को बंद किया हुआ माना गया है। यदि आप आयोग का हस्तक्षेप चाहती है तब आप डाक या राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट ncw.nic.in पर पंजीकृत नई शिकायतें भेज सकते हैं" निम्नलिखित बंद हुई मानी जाएगी टिप्पणी का अनुमोदन किया।

(मीनाक्षी गुप्ता)
सदस्य सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष, रा.म.आ.